कार्यालय प्राचार्य,राजकीय विधि महाविद्यालय,कोटा

टैगोर नगर, रावतभाटा रोड, कोटा (राजस्थान) – 324010
Ph. No. - 0744- 2473545 E-mail :- glckotaraj@gmail.com

क्रमांक : 1907 दिनांक : 08/01/24

आवश्यक सूचना

कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा के पत्रांक 172–74 दिनांक 07.01.2025 की अनुपालना में महाविद्यालय के सभी नियमित विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि नालसा द्वारा विधि महाविद्यालयों के लिए **"Connecting with the Cause"** शीर्षक के तहत निम्नलिखित तीन स्कीम निर्धारित की गई है, जिसके अंतर्गत रील या लघु फिल्म बनाने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है।

1. नालसा (मानसिक रूप से बीमार एवं बौद्धिक रूप से असक्षम व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएँ) योजना 2024
2. नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएँ) योजना 2015
3. नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएँ) योजना 2024

उक्त प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु इच्छुक प्रतिभागी व्यक्तिशः उपस्थित होकर दिनांक 15.01.2025 (बुधवार) तक अपना नाम विधिक सेवा के प्रभारी श्री विकास कुमार जैन, सहायक आचार्य को लिखवा देवें।

नोट :–

1. रील की समयावधि 90 सैकण्ड (1.30 मिनट) एवं लघु फिल्म की समयावधि 180 सैकण्ड (3 मिनट) रहेगी एवं संबंधित रील या लघु फिल्म दिनांक 27.01.2025 (सोमवार) तक निम्मलिखित गूगल ड्राइव लिंक पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
   https://drive.google.com/drive/folders/1t6RL4qzNxXYTB5T1icZtXOob-LJmS5Xr?usp=drive_link
2. रील अथवा लघु फिल्म प्रेषित करने के साथ प्रतिभागी, अपना नाम एवं कक्षा अवश्य अंकित करें।
3. प्रत्येक प्रतिभागी रील या लघु फिल्म में से किसी भी एक प्रतियोगिता में ही प्रविष्टि प्रस्तुत कर सकता है।
4. प्रतियोगिता से संबंधित समस्त नियम संलग्न पत्रांक में उल्लिखित है। अतः इसे **ध्यानपूर्वक अवश्य अध्ययन** करें।

Vikas Jain
प्रभारी

प्राचार्य
राजकीय विधि महाविद्यालय, कोटा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ –

1. नोटिस बोर्ड।
2. HTE प्रभारी उक्त आदेश को पोर्टल पर अपलोड करें।
3. रक्षित पत्रावली।

Vikas Jain
प्रभारी

प्राचार्य
राजकीय विधि महाविद्यालय, कोटा

कार्यालयः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा

Contact/Fax: 0744-22940015 E-mail:dlsa26kota@gmail.com

कमांक 172-74

दिनांक 07.01.25

प्रेषिति : 1. प्रिंसीपल, राजकीय विधि महाविघालय, कोटा
2. प्रिंसीपल, मोदी विधि महाविघालय, कोटा
3. प्रिंसीपल, एक्ससीलेन्ट विधि महाविघालय, कोटा

विषय :–नाल्सा द्वारा विधि महाविघालयो के लिए "Connecting with the Cause" शीर्षक के तहत रील व लघु फिल्मे बनाने के लिए प्रतियोगिता करने के संबंध मे।

संन्दर्भ:–रालसा से प्राप्त पत्र कमांक एफ F3( )DS-II/Social Media/2025/23799-22834 दिनांक 06.01.2025 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के कम में लेख है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर महाविघालयो के लिए "Connecting with the Cause" शीर्षक के तहत दिनांक 03.01.2025 को रील व लघु फिल्मे बनाने के लिए प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया गया है इस प्रतियोगिता के तहत विधि छात्रो को नालसा की योजनाओ को प्रदर्शित करते हुए रचनात्मकता और नवाचार के साथ कानूनी जागरूकता बढाने के लिए रील व लघु फिल्मे बनाने जाने हेतु आमंत्रित किया गया है। प्रतियोगिता का उदेश्य विधि छात्रो को रचनात्मकता और सहभागिता का उपयोग करके रील व लघु फिल्मे जैसे आधुनिक और प्रभावी माध्यमो के जरिये कानूनी जागरूकता को बढावा देना हैं। प्रतियोगिता के संबंध मे विवरण निम्नानुसार है।

1. उक्त प्रतियोगिता के लिए 3 स्कीम निर्धारित की गयी है
   - नालसा (मानसिक रूप से बीमार एवं बौद्विक रूप से असक्षम व्यक्तियो के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2024
   - नालसा (गरीबी उन्मूलप योजनाओ के प्रभावी कियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015
   - नालसा (बच्चो को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं) योजना 2024
2. प्रतियोगिता के तहत आप अपने विधि महाविघालय मे उक्त विषय के सम्बन्ध मे रील व लघु विडियो की प्रतियोगिता आयोजित करवाए ।
3. प्रत्येक प्रतिमागी छात्र अपने कॉलेज मे केवल एक प्रविष्टि प्रस्तुत कर सकता है, जिसमे से वह रील श्रेणी या लघु विडियो श्रेणी चुन सकता है।
4. रील की समयावधि 1.30 मिनट (90 सैकेण्ड) और लघु विडियो की समयावधि 3 मिनट (180 सैकेण्ड) है।
5. विडियो की सामग्री विषय के अनुसार होनी चाहिए तथा किसी भी प्रकार की अश्लील/अपमानजनक/राष्ट्र विरोधी/निंदाकारक/लोक नीति विरोधी/नैतिकता विरोधी सामग्री प्रसारित नही की जानी चाहिए।
6. इस प्रतियोगिता का उदेश्य कलात्मक अभिव्यक्ति के पीछे मौलिकता को प्रोत्साहित करना है। किसी भी तरह की साहित्यिक चोरी या आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्सी टूल से

कार्यालयः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा

Contact/Fax: 0744-22940015 E-mail:dlsa26kota@gmail.com

नकल की अनुमति नही है। अगर ऐसा पाया जाता है तो प्रविष्ठि अयोग्य घोषित कर दी जावेगी।

7. प्रत्येक स्तर पर परीक्षको का परिणाम अंतिम होगा और निर्णय के विरूद्ध कोई अपील/संशोधन/समीक्षा नही की जा सकेगी।
8. नालसा रील व लघु विडियों के कॉपीराईट्स सुरक्षिम रखेगा और इस संबंध मे नालसा द्वारा बाद मे किसी भी दावे पर विचार नही किया जाएगा।
9. नालसा प्रतियोगिता के अंतिम निर्णय तक प्रतिभागियो को सूचित करते हुए किसी भी नियम को बदलने या प्रकिया मे परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
10. प्रतियोगी छात्रो को अपनी प्रस्तुति भेजने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क देय नही है।
11. आपके विधि विघालय मे प्रतियोगिता मे भाग लेने वाले प्रत्येक प्रतिमागियो की सूची संलग्न प्रारूप मे इस कार्यालय को प्रेषित करावे।
12. प्रत्येक प्रतिभागी को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिये जाएंगे।

अतः विधि महाविघालय मे आपके स्तर पर श्रेणी वार लघु विडियो(अधिकतम 90 सेकण्ड रील) हेतु 2 विजेता(विजेता एवं उपविजेता) एवं दीर्घ विडियो(अधिकतम 180 सेकण्ड) 02 विजेता(विजेता एवं उपविजेता) इस प्रकार कुल 04 विडियो इस कार्यालय को दिनांक 05.02.2025 तक इस कार्यालय को प्रेषित की जानी है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिरकरण
कोटा